न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 163/2021

अनवान : –

1. विकास चाचाण पुत्र बाबुलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. शंकर पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. उप पजीयक नोहर तहसील नोहर।।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांक: 28/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 24/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है एवं रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 24/4 की 0.1010 हैक्ट बारानी भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल संख्या 1 बहुत तेज व तर्रार व्यक्ति है तथा हर वक्त कब्जा को लेकर झगड़ा करता रहता है गैरसायल की ख0न0 24/4 की भूमि है परन्तु गैरसायल ख0न0 24/3 की भूमि जो की सायल की है मे जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है तथा सायल की भूमि पर काबिज होकर निर्माण करना चाहता है। यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को भारी नुकशान होगा तथा मुकदमे बाजी बढ़ेगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 जो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि वे रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 24/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि भूमि में स्वयं या अपने आदमियों से किसी प्रकार की मदाखलत बैजा न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0न0 24/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में सायल के नाम दर्ज है में मदाखलत बैजा न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल द्वारा कभी भी सायल की भूमि पर कब्ज करने की कोशिश नही की गई है। गैरसायल स0 1 के ना[illegible] 24/4 की भूमि दर्ज हुई है जो की विभाजन के द्वारा नामान्तरण संख्या [illegible] विभाजन के अनुसार गैरसायलान उत्तरदाता नोहर से खुंईया सड़क मार्ग से सटटा हुआ है लेकिन पटवार मण्ड[illegible]र पर उपलब्ध नक्शा में व ऑनलाईन सेग्रीगेशन नक्श मे सड़क मार्ग से दुर दिखाया गया है गैरसायल मुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरे के दक्षिण पूर्वी कोने पर काबिज है प्रार्थी द्वारा बनावटी कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायलान व गैरसायलान एक दुसरे के चिपते पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है एवं सींव व डोल को मिस्मार करना चाहते है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.10.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:23 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर